

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला
कलेक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर
के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338
दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को
बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत
खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है।
जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत की
कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थीया श्रीमती रोशनी देवी पत्नी
गौरी शंकर जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं0
08 चक 1डी छोटी साधुवाली तहसील व
जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ
पत्र व आई.डी.चप्रूफ, एवं दो गवाह का
शपथ पत्र, आई.डी.प्रूफ, रसीद पेश कर
निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत
बंद वसीयत सील्ड लिफाफा सेफ कस्टडी
में रखवाई जावे।

प्रार्थीया व गवाहान राज कुमार पुत्र
लालचन्द एवं अमीलाल ताखर पुत्र जोतराम
की पहचान अधिवक्ता श्री विजय कुमार
भाटी द्वारा की गयी।

अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत
कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवा
कर सील्ड पैकेट बंद वसीयत को सेफ
कस्टडी में रखने के संबंध में आदेशार्थ
प्रस्तुत है।

आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

2022/11/6

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)